रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-सी.जी.-अ.-09122022-240943 CG-CG-E-09122022-240943

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5487] No. 5487] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 6 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5723(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

8153 GI/2022 (1)

सारिणी-1

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना
1	2	3
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा), बेल्हा, बिलासपुर—छत्तीसगढ़	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दाघापारा—बेल्हा (9.20 कि.मी.) के बीच एनर्जी कॉरिडोर (चौथी लाईन) परियोजना का निर्माण।

[फा. सं.—डी.सी. ई/सी/आर/डी.पी.एच.— बी.वाई.एल/७ए/] एच. पी. त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) NOTIFICATION

Bilaspur, the 6th December, 2022

S.O. 5723(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table-1

S.N	Competent Authority	Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Divisional Officer (Revenue), Belha, Bilaspur, Chhattisgarh.	Construction of Energy Corridor (4th line) project between Dadhapara-Belha (9.20 km) situated in Chhattisgarh State.

[F. No. DCE/C/R/DPH-BYL/7A/]

H. P. TRIPATHI, Chief Administrative Officer (Construction)